//नेशनल लोक अदालत दिनांक 09.12.2023//

राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0 उपस्थित।

आरोपीगण सहित श्री राजेश झा अधिवक्ता उपस्थित।

प्रस्तुत प्रकरण राजीनामा आवेदन पर विचार हेतु नियत है।

प्रस्तुत प्रकरण के फरियादी/आहत् सरोज एवं अखैसिंह ने उपस्थित होकर प्रस्तुत प्रकरण के अभियुक्तगण से राजीनामा करने बाबत् आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–320 एवं 320(2) द0प्र0सं0 का प्रस्तुत कर राजीनामा किया जाना व्यक्त किया गया।

उभय पक्ष द्वारा व्यक्त किया गया कि वे लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा करना चाहते हैं, राजीनामा आवेदन प्रकरण के साथ संलग्न हैं। राजीनामा के संबंध में प्रकरण के आहत्/फरियादी के कथन लेखबद्ध किये जा चुके हैं।

उक्त आवेदन पर उभय पक्ष को सुना गया।

आवेदन पत्र के प्रकाश में अभिलेख का परिशीलन करने पर यह दर्शित होता है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–294, 323, 34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में धारा–323 न्यायालय की अनुमति के बिना एवं धारा–294 भा0द0ंस0 न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य है।

फरियादी/आहतगण की ओर से धारा–320, 320(2) द0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्तगण से राजीनामा करने की अनुमति चाही गयी है। पीड़ित/आहतगण से धारा–323/34,294 भा0द0सं0 के राजीनामा के संबंध में परीक्षण करने पर उनके द्वारा अभियुक्तगण से बिना किसी डर, दबाव, प्रलोभन, भय, लालच, धमकी के राजीनामा करना प्रकट किया गया। फरियादी/आहत की पहचान **श्री राजेश झा** अधिवक्ता द्वारा की गयी है। परीक्षण करने पर वह असल फरियादी/आहत्गण होना दर्शित हो रहे हैं और यह भी प्रकट होता है कि स्वतंत्र इच्छा वैद्य सम्मति से राजीनामा किया है। फलतः प्रस्तुत आवेदन पत्र धारा–294,323/34 भा0दं0सं0 के संबंध में स्वीकार किया जाता है।

प्रस्तुत प्रकरण के फरियादी/आहत को अभियुक्तगण से राजीनामा करने की अनुमति दी जाती है एवं राजीनामा आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा फरियादी/आहतगण द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा कर लेने के आधार पर अभियुक्त विजय सिंह पुत्र जगू परिहार, गिरजा बाई पत्नी विजय सिंह, मातादीन पुत्र विजय सिंह, बंटी पुत्र विजय सिंह निवासीगण ग्राम मचाखुर्द, थाना पोहरी जिला शिवपुरी म.प्र. को धारा–294, 323/34, भा0दं0सं0 के आरोप से धारा–320(8) के प्रावधानों के अनुसरण में दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

अभियुक्तगण की उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत किये गये बंधपत्र एवं जमानत भारमुक्त किये जाते हैं।

प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे।

अभियुक्तगण की निरोधावधि निरंक है।

प्रकरण राजीनामा के आधार पर नेशनल लोक अदालत के माध्यम से समाप्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

सही/–09.12.2023

(दिलीप त्रिवेदी)
सदस्य

(अविनाश छारी)
पीठासीन अधिकारी

खण्डपीठ क्रमांक–23
न्या.मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी पोहरी